सत्यमेव जयते

By Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

File No. MLM/18/2011/STGDH/SEOTH/RU-I

Dated 16-05-2012

To,

The Additional Member (Staff),
Railway Board,
Ministry of Railways,
Rail Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi – 110 001

Sub:- Rep. dated 11/03/2011 from Shri Mohan Lal Meena,regarding fixation of seniority.

Sir,

I am directed to refer to this Commission's letter of even No. dated 13/02/2012 on the subject mentioned above and to forward herewith a copy of the proceeding of the Sitting held in the Commission on 14/03/2012 for necessary action.

I am, therefore, to request that action taken/compliance report may please be sent to the Commission at early date.

Yours faithfully,

Encl: as above 03 pages.

(S.P. Meena)
Assistant Director

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

File No. MLM/18/2011/STGDH/SEOTH/RU-I

Dated 16/05/2012

Copy along with a of the above proceedings sent for information to:-

1. Shri Mohan Lal Meena* — ~~By Speed Post~~
   CIT/LKO,R.D.S.O LD-105/B Near
   Legara Phatak Alambagh,
   Lucknow-Uttar Pradesh.

2. P.S. to Member BLM
3. P.P.S to J.S
4. S.S.A (N.I.C.)
5 A.D.C. (Cell)

(S.P. Meena)
Assistant Director

सं.एमएलएम/18/2011/एसटीजीडीएच/एसईओटीएच/आर.यू.-I

विषय: वरीयता निर्धारण एवं अधिवर्षिता हेड टीटीई से जेआईटी के पद पर पदोन्नति अधिवर्षिता से संबंधित श्री मोहन लाल मीणा सीआईटी लखनऊ का 14-03-2012 को आयोग के समक्ष हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में उपस्थिति

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-

1.	श्री भैरू लाल मीणा	सदस्य
2.	श्रीमती के.डी.बन्सौर	उप निदेशक
3.	श्री एन.के. कौशिक	परामर्शदाता

रेल मंत्रालय-

1.	श्री पी. के.शर्मा	अतिरिक्त सदस्य (स्टाफ रेलवे बोर्ड)
2.	श्री एस.के. सेठ	सीपीओ (उत्तर रेलवे)
3.	श्री के. मल	कार्यकारी निदेशक, स्थापना (आरक्षण)

प्रार्थी-

1.	श्री एम.एल. मीणा	सी.आई.टी., लखनऊ

विषय/मुद्दा- जेआईटी ग्रेड में अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति कमी (शार्टफाल) के अन्तर्गत श्री मोहनलाल मीणा को दिनांक 16-02-1999 पदोन्नति दिए जाने के संबंध में।

श्री मोहनलाल मीणा, .सीआईटी, लखनऊ ने आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 11-03-2011 को सूचित किया कि उन्होंने दिनांक 20-06-1982 को मैकेनिकल ब्रांच में श्रेणी 'ग' में सेवा ग्रहण की। तत्पश्चात् दिनांक 26-03-1991 में प्रशिक्षण के उपरांत टी.सी. ग्रेड का कार्य ग्रहण किया। उन्हें दिनांक 11-01-1994 को टी.टी.ई. ग्रेड में पदोन्नत किया गया। हेड टी.टी.ई. ग्रेड के प्रशिक्षण में चयन के पैनल में उनका नाम मद संख्या 86 पर था । उक्त पैनल में केवल 3 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिनमें श्री मोहनलाल मीणा का नाम भी था। तत्पश्चात् दिनांक 14-12-1998 के परिणाम के अनुसार उन्होंने जे.आई.टी. ग्रेड में पदोन्नति दिनांक 08-10-1998 से 24-10-1998 का कोर्स पास किया। प्रार्थी ने सूचित किया है कि जे.आई.टी. ग्रेड में अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति कमी (शॉर्टफाल) के अन्तर्गत वे पदोन्नति के पात्र थे तथा दिनांक 16-02-1999 को श्री हरि राम मीणा, हेड

16/3/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

टी.टी.ई. के जे.आई.टी. ग्रेड में पदोन्नति के पश्चात् चूंकि वे भी पदोन्नति के पात्र थे तथा दिनांक 16-02-1999 को उन पर कोई दण्ड (पनिस्मेंट) नहीं लागू था फिर भी उन्हें नियमित रिक्तियों के पश्चात् भी जे.आई.टी. ग्रेड में अनुसूचित जनजाति के शॉर्टफाल के बावजूद भी पदोन्नत नहीं किया गया।

दिनांक 25-02-1999 को लघु दण्ड के अन्तर्गत वर्तमान ग्रेड से नीचे का दण्ड दिया गया। दिनांक 31-07-1999 के नोटिस के अनुसार सी.आई.टी. पोस्ट के लिए चयन में अनुसूचित जनजाति के 3 पद इंगित थे। अत: दिनांक 16-02-1999 से जे.आई.टी. ग्रेड में अनुसूचित जनजाति के 3 रिक्त पद (बैकलॉग) सुलभ होते हुए भी पदोन्नति से वंचित कर उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

आयोग ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पत्र दिनांक 17-03-2011 के द्वारा रेल मंत्रालय से विवरण व टिप्पण मांगे। उत्तर प्राप्त न होने पर संस्मरण पत्र दिनांक 31-05-2011, 18-07-2011 रेल मंत्रालय को भेजे गए। रेल मंत्रालय ने पत्र दिनांक 13-07-2011 जो कि आयोग में दिनांक 21-07-2011 को प्राप्त हुआ, में जानकारी दी कि प्रकरण में जांच की जा रही है तथा कोनफीडेनशिल सेल से पत्राचार किया जा रहा है। अत: आयोग को सूचना भेजी जाएगी। रिपोर्ट न आने पर आयोग ने रेल मंत्रालय को संस्मरण पत्र दिनांक 25-08-2011, 27-11-2011 भेजे। रेल मंत्रालय ने दिनांक 11-12-2011 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि मामले को उत्तर रेलवे के साथ कन्सल्ट कर जांच की जा रही है तथा आयोग को प्रकरण पर सूचना भेजी जाएगी।

आयोग के सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कि 9 महीने बीतने के पश्चात् भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है तथा 24-01-2012 को रेल अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया तथा उपरोक्त बैठक सदस्य के कार्य व्यवस्था में तबदीली होने के कारण दिनांक 14-02-2012 से 14-03-2012 को स्थगित की गयी।

चर्चा

श्री पी.के. शर्मा, अतिरिक्त सदस्य (स्टाफ) रेलवे बोर्ड ने सदस्य महोदय के समक्ष दिनांक 14-03-2012 को उपस्थित होकर जानकारी दी। श्री मीणा के प्ररकण पर जानकारी के अनुसार श्री मीणा पर एसएफ- 5 तथा एसएफ-11 के आरोप हैं तथा अनुशानात्मक कार्रवाई की गयी है तथा इन परिस्थितियों पर पदोन्नति की कार्रवाई सम्भावित नहीं है। वर्ष 1997 में एक विजिलेंस केस के अन्तर्गत 6 माह की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी थी। अत: उन्हें पैनलटी की अवधि में पदोन्नति नियमानुसार नहीं किया गया। प्राथी श्री मीणा को पूछा गया कि उन पद ऐसे आरोप है। प्रार्थी ने कहा कि मेरी सर्विस बुक में इनका उल्लेख नहीं है तथा उसे कोई जानकारी भी नहीं है।

16/3/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India

सदस्य महोदय ने उपरोक्त रेलवे अधिकारियों द्वारा दी गयी जानकारी एवं प्रार्थी द्वारा संदर्भित वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे अधिकारियों को सलाह दी गयी कि वह श्री एम.एल. मीणा के प्रकरण में रेलवे अधिकारियों ने श्री मीणा की पदोन्नति एवं दण्डात्कम कार्रवाई के अन्तर्गत 6 माह की वेतन वृद्धि रोक दी गयी थी तथा दण्ड की अवधि के दौरान उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता था। परन्तु रेल प्रशासन की ओर से आये अधिकारियों के समक्ष प्रार्थी के इस प्रतिरोध पर कि उन्हें कोई चार्जशीट या दण्ड देने के आदेश अभी तक नहीं मिले हैं तथा यदि ऐसा है तो रेलवे अधिकारी इस प्रकार के दण्डात्मक आदेशों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। चूंकि आयोग में उपस्थित रेलवे अधिकारी ऐसे आदेश प्रस्तुत करने में असमर्थ थे तथा प्रकरण की पूरी जानकारी एकत्र करने के लिए रेलवे अधिकारियों के अनुरोध पर कुछ समय और दिए जाने को स्वीकार करते हुए आयोग के माननीय सदस्य ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि जो कि सदस्य महोदय की सुविधानुसार निश्चित की जाएगी। रेलवे अधिकारियों द्वारा मामले से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने, एवं उनके इस अनुरोध पर कि पूर्ण जानकारी एकत्रित करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए जिसे आयोग के माननीय सदस्य ने स्वीकार किया एवं सलाह दी कि आयोग को मामले में दस्तावेज जाँच हेतु शीघ्र भिजवाएं।

16/5/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi